उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग–9

संख्या–1758/1–09–07–28 एल०सी०–2005

लखनऊ, 06 अगस्त, 2007

अधिसूचना संख्या 1749/1–09–2007–28 एल०सी०–2005, दिनांक 06 अगस्त, 2007 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 (अंग्रेजी रूपान्तर सहित) की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(4) सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
(5) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद उत्तर प्रदेश।
(6) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(7) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(8) सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(9) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० लखनऊ को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से

एस०ए०ए० रिजवी,

सचिव।

क्रम-संख्या-208 (क-5)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-जी०-11/लाई०-न्यूज पेपर/91/05-06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 6 अगस्त, 2007

श्रवण 15, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व अनुभाग–9

संख्या 1749/1–9–2007–28–एल०सी०–2005

लखनऊ, 6 अगस्त, 2007

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०पा०नि०–34

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली, 2006

भाग–एक सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली, 2006 कहीं जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2- उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा एक अधीनस्थ सेवा है जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं 3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :-

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य उप जिलाधिकारी से है;

(ग) 'परिषद' का तात्पर्य राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश से है;

(घ) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(ड़) 'आयुक्त' का तात्पर्य किसी मण्डल के आयुक्त से है;

(च) 'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(छ) 'भू-अभिलेख का निदेशक', जिसे आगे निदेशक कहा गया है, का तात्पर्य भू-अभिलेख के निदेशक की शक्तियों का तत्समय प्रयोग कर रहे प्राधिकारी से है;

टिप्पणी- वर्तमान में निदेशक की शक्तियों का प्रयोग राजस्व परिषद करता है।

(ज) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(झ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ञ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ट) 'नागरिकों' के अन्य पिछड़े वर्गों, का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशाधित अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ठ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा से है;

(ड़) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ढ़) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

भाग- दो संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाएं, सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है:

पद का नाम	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	योग
लेखपाल	27,237	-	27,237

(3) लेखपालों का संवर्ग जिलावार होगा और जिलावार सदस्य संख्या का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा : परन्तु -

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ नहीं सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी व अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग-तीन भर्ती

भर्ती का स्त्रोत

5. सेवा में किसी पद पर भर्ती, सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी।

आरक्षण

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उ०प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग,स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग-चार अर्हताएं

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

राष्ट्रीयता

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, यो

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रवजन किया हो :

परन्तु उपयुक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उ०प्र० से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा, और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में यह शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें,

टिप्पणी :- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु जिसे न _तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

शैक्षिक अर्हता

8. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र०, की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा, उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

अधिमानी अर्हताएं

9. अन्य बातों के समान होने पर भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने :-

(क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेन्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां विज्ञापित की जाएं, पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेंटल रूल-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

भाग–पाँच भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी, भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों

के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या को भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना चयन समिति को देगा। सीधी भर्ती के लिये रिक्तियों को निम्नलिखित रीति से अधिसूचित किया जाएगा :-

(क) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन निर्गत करके,

(ख) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चिपका करके या रेडियो-दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन के द्वारा, और

(ग) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियों को अधिसूचित करके।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) भर्ती के प्रयोजन के लिए परिषद, एक चयन समिति गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(क) एक अधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी की श्रेणी से नीचे का न हो।

(ख) यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नहीं है तो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित एक अधिकारी, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी से नीचे का न हो, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है तो परिषद द्वारा, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न, नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी।

(ग) यदि अध्यक्ष, अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं है तो अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित एक अधिकारी, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी से नीचे का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है तो परिषद द्वारा,अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न, नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी।

(2) भरी जाने वाली लेखपालों की रिक्तियों की संख्या प्राप्त होने पर परिषद, प्रशासनिक आवश्यकतानुसार मण्डल स्तर या किसी अन्य इकाई के स्तर पर प्रतियोगिता परीक्षा कराने का विनिश्चय करेगी। आवेदन पत्रों को कलेक्टर द्वारा अपने जिले में आमंत्रित किया जायेगा।

(3) कलेक्टर आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगा और पात्र अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा।

4. अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र जिसमें अनिवार्य रूप से उनकी पासपोर्ट साइज फोटो की एक प्रति चिपकी होगी, प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट या उसके समतुल्य कोई परीक्षा के अंक तालिका की स्वप्रमाणित प्रतियों को संलग्न करना भी आवश्यक होगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों से संबंधित ऐसे अभ्यर्थी जिनके लिये रिक्तियां आरक्षित हैं, के लिये यह आवश्यक होगा कि वे नियम 6 के अधीन ऐसी विशिष्ट श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरूद्ध सम्मिलित होने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें। अभ्यर्थियों की परीक्षा फीस के लिये भुगतान इण्डियन पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिले के कलेक्टर को किया जायेगा और फीस की धनराशि का विनिश्चय परिषद द्वारा किया जाएगा।

5. प्रतियोगिता परीक्षा, चयन समिति के पर्यवेक्षण के अधीन संचालित की जाएगी। प्रतियोगात्मक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सम्मिलित होगा। वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा साठ अंक ही होगी जिसमें सामान्य हिन्दी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित विषयों के प्रश्न सम्मिलित होंगे। साक्षात्कार चालीस अंक का होगा।

6. लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को सारणीबद्ध किये जाने के पश्चात चयन समिति, नियम-6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्धारित मानक तक आए हों, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलायेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में दिये गये अंकों को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के साथ जोड़ा जायेगा।

7. चयन समिति, अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा उनके द्वारा लिखित परीक्षा, और साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंकों के योग से प्रकट हो, जिलावार एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या, अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा। लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थियों के बराबर-बराबर अंक होने की दशा में, आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर स्थान पर रखा जाएगा। चयन समिति, सूची को संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/प्राधिकारियों को अग्रसारित करेगी।

भाग–छः नियुक्ति, प्रशिक्षण परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

16. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर उसमें वे नियम 15 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जाएगा जैसी चयन में अवधारित की जाए।

प्रशिक्षण

17. नियम 16 के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्तियों को लेखपाल प्रशिक्षण स्कूल पर ऐसे दिनांक पर योगदान करना होगा जैसा परिषद द्वारा नियत किया जाय, जो कि सामान्यतया जुलाई का प्रथम दिन होगा और एक वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा।

अर्हता परीक्षा

18. (1) प्रशिक्षण सत्र के अन्त पर एक अर्हकारी परीक्षा होगी जिसकी व्यवस्था परिषद द्वारा की जायेगी।

(2) स्कूल का प्रधानाचार्य, प्रत्येक प्रशिक्षार्थी के कार्य और आचरण को, उनकी उपस्थिति, मासिक परीक्षाओं, आचरण और अनुशासन, जिसके लिये अर्हकारी परीक्षा में कुल अंकों का बीस प्रतिशत अंक चिन्हित होगा, के आधार पर मूल्यांकन करेगा ओर प्रशिक्षार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में प्राप्त किये गये अंकों को अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के साथ जोड़ दिया जायेगा।

(3) अर्हकारी परीक्षा में प्रशिक्षणार्थी को सामान्यतया तब तक बैठने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जायेगी जब तक कि कक्षा में उसकी उपस्थिति, सत्र के दौरान स्कूल के खुले रहने पर, न्यूनतम अस्सी प्रतिशत न रही हो। फिलहाल परिषद, आपवादिक मामलों में, शर्त से उपयुक्त छूट प्रदान कर सकती है।

(4) अर्हकारी परीक्षा में यदि कोई प्रशिक्षार्थी असफल होता है तो ऐसे विषयों में, जिनमें वह अर्हकारी परीक्षा के दौरान असफल रहा, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये, दो अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि उक्त अतिरिक्त अवसर का लाभ उठाने के पश्चात भी कोई प्रशिक्षणार्थी अर्हकारी परीक्षा में असफल रहता है तो उसे, सेवा के लिये अनुपयुक्त माना जाएगा।

5. सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर सभी प्रशिक्षार्थी उस परिणाम का एक प्रमाण-पत्र स्कूल से प्राप्त करेंगे।

6. प्रत्येक सत्र के दौरान अर्हकारी परीक्षा के अधीक्षक के रूप में कार्य करने के लिये परिषद किसी अधिकारी को नाम निर्देशित करेगी। अपने पारी के दौरान अधीक्षक, निरीक्षकों को नियुक्त करेगा जोकि उसे परीक्षा के दौरान प्रशिक्षार्थियों द्वारा किये गये अनुचित साधनों का प्रयोग करने या प्रयास करने सहित दुराचरण के मामलों, यदि कोई हो, की सूचना देंगे। अपने विवेकानुसार अधीक्षक या तो प्रशिक्षार्थी को अग्रत्तर परीक्षा से बहिष्कृत कर देगा या उसके द्वारा विशिष्ट प्रश्नपत्र में प्राप्त किये गये अंकों को काटने का आदेश देगा। ऐसा करने से पूर्व अधीक्षक, अनुचित साधनों सहित दुराचार के आधार पर किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण दर्शाने का पूर्ण अवसर देगा। अधीक्षक द्वारा की गयी कार्यवाही के विरूद्ध प्रशिक्षार्थी, परिषद के समक्ष अपील दायर कर सकता है। परिषद का, इस सम्बन्ध में विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाये :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये

या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

20. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के स्थायीकरण अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा, यदि

(क) वह विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेता है;
(ख) वह विहित अर्हकारी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेता है,
(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय;
(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये; और
(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

21. सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उ०प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात वेतन इत्यादि

वेतनमान

22. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान 3050-75-3950-80-4590 रूपया है।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23. (1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विहित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो ओर द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ अन्य उपबन्ध

स्थानान्तरण

24. (1) जिला का कलेक्टर अपने विवेक से जिला के भीतर किसी लेखपाल का स्थानान्तरण, एक परगना से दूसरे परगना को कर सकता है और किसी परगना का प्रभारी सहायक कलेक्टर परगना के भीतर, किसी लेखपाल का स्थानान्तरण, एक हल्का से दूसरे हल्का को कर सकता है।

(2) जब कोई क्षेत्र, सर्वेक्षण, अभिलेख या बन्दोबस्त क्रिया के अधीन हो या धृति के चकबन्दी की क्रिया के अधीन हो तो उपर्युक्त क्रियाओं के अधीन क्षेत्र के बाहर किसी लेखपाल का स्थानान्तरण, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी या सहायक कलेक्टर द्वारा, अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी के परामर्श के बिना, नहीं किया जायेगा।

सर्वेक्षण लिखित आदेशों

25. सेवा के प्रत्येक सदस्य को, ऐसे सर्वेक्षण लिखतों को, जैसा कि समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट किया जाय, आपूर्ति किया जाएगा। इन लिखतों का रख-रखाव और निस्तारण कार्यकारी द्वारा विनियमित किया जायेगा।

निवास का दायित्व

26. लेखपाल, अपने हल्का के भीतर ही निवास करेगा, जब तक कि उसने अपने निवास से बाहर रहने की अनुज्ञा कलेक्टर से प्राप्त न कर ली हो।

टिप्पणी :- छूट को मंजूर करने और अनुपस्थित सहित व्यवहार में पालन किये जाने वाले सिद्धान्त लैण्ड रिकार्ड मैनुअल के पैराग्राफ 538-544 में अधिकथित हैं।

पक्ष समर्थन

27. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों, पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए

अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियम

28. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य की कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

29. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

30. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

एस० आर० लाखा,

प्रमुख सचिव।